न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 18/2024 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

GCMS NO : 2024/16

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री मोहित बंदवाल साहू पिता स्व. हीरालाल मैसर्स अनिल वनस्पति स्टोर धानमण्डी उदयपुर नमुनीकर की जगह पुलिस थाना, धानमण्डी उदयपुर स्थाई पता म.न. 5, जैन बॉर्डिंग स्कूल के सामने, धानमण्डी उदयपुर मो.न. 8854969428

–विपक्षी

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्र सिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. अधिवक्ता श्री मनोहर सिंह टांक विपक्षी सं. 1।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 29-07-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे 22.08.2023 को दोपहर 10.30 पी.एम. वास्ते चेकिंग मैसर्स अनिल वनस्पति स्टोर धानमण्डी उदयपुर नमुनीकर की जगह पुलिस थाना, धानमण्डी उदयपुर पर पहूँचा, वहॉ विपक्षी श्री मोहित बंदवाल उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स अनिल वनस्पति स्टोर धानमण्डी उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

थानाधिकारी धानमण्डी उदयपुर द्वारा दूरभाष पर प्राप्त संदेश व श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के निर्देशानुसार धानमण्डी थाना उदयपुर पर मय खाद्य दल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विकेता की दुकान पर घी, तेल आदि आम जनता को बिकी करने का कार्य किया जाता है। थाने पर 4 टिन (पिपे) 15 किलोग्राम घी के रखे पाये गये अवलोकन करने पर तीन पिपो के बाहर गते के कार्टुन पर सरस घी अंकित पाया । पिपो के अन्दर भी पिपो पर सरस घी अंकित पाया गया। उक्त तीनो पिपे लोहे के डाट द्वारा बन्द पाये गय। मौके पर विकेता ने अपना घी होना बताया। जो आम जनता को बिकी वास्ते रखा। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये घी में से 800ग्राम (Loose) घी वास्ते जॉच हेतु एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा घी की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 480 रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 800 ग्राम घी को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक की 4 साफ, सूखे व खाली जारो मे बराबर मात्रा (प्रत्येक मे करीब 200 ग्राम) मे भरकर इनका फार्मेलीन की 20 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मूॅह ढक्कन से एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना जारों को मोटै व मजबूत कागज में लेपेटकर कागज के दोनो सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। नमूना पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं नमूना को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर **ए.ए–2384** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की एक प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/8629 दिनांक 12.09.2023 के

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट सं. एलएस/695/एक्ट/2023/695 दिनांक 31.08.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Butyrorefractometer Reading at 40°C. 40.0-44.0 होना चाहिए था, कि जगह 50.26 पाया गया, Reichert value 24.0 min होना चाहिए था कि जगह 16.26 पाया गया, saponification value 205-235 होना चाहिए था कि जगह 194.14 पाया गया एवं Iodine value 25-38 होना चाहिए था कि जगह 52.06 पाया गया, Test for sesame oil should be negative होना चाहिए था कि जगह Positive पाया गया। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/8630 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2024/1699 दिनांक 15.03.2024 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। आरोपी का टर्नआवर 12 लाख रूपये वार्षिक से कम है। विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु आरोपी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि एक ही दिन एक ही दो खाद्य सुरक्षा अधिकारी एक साथ आकर एक ही खाद्य पदार्थ घी का सेम्पल लिया गया है। दोनो परिवाद न्यायालय में पेश हुए है प्र.स. 79/23 में जवाब पेश कर रखा है उसी का जवाब इसमें समझा जाकर प्रकरण को क्लब करते हुए कम से कम जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित किया

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

जाने का निवेदन किया। आरोपी द्वारा अपनी बहस में भविष्य में एसी गलती नहीं दोहराने का निवेदन कर कम से कम जुर्माने से दण्डित किया जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा बताया कि थानाधिकारी धानमण्डी उदयपुर द्वारा दूरभाष पर प्राप्त संदेश एवं श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के निर्देशानुसार धानमण्डी थाना उदयपुर पर मय खाद्य दल मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विकेता की दुकान पर घी, तेल आदि आम जनता को बिकी करने का कार्य किया जाता है। थाने पर 4 टिन (पिपे) 15 किलोग्राम घी के रखे पाये गये अवलोकन करने पर तीन पिपो के बाहर गते के कार्टुन पर सरस घी अंकित पाया। पिपो के अन्दर भी पिपो पर सरस घी अंकित पाया गया। उक्त तीनो पिपे लोहे के डाट द्वारा बन्द पाये गय। मौके पर विकेता ने अपना घी होना बताया। जो आम जनता को बिकी वास्ते रखा। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये घी में से 800ग्राम (Loose) घी वास्ते जॉच हेतु एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया। **क्योंकि Butyrorefractometer Reading at 40°C. 40.0-44.0 होना चाहिए था, कि जगह 50.26 पाया गया, Reichert value 24.0 min होना चाहिए था कि जगह 16.26 पाया गया, saponification value 205-235 होना चाहिए था कि जगह 194.14 पाया गया एवं Iodine value 25-38 होना चाहिए था कि जगह 52.06 पाया गया, Test for sesame oil should be negative होना चाहिए था कि जगह Positive पाया गया।**

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/— शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)